जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 21.03.2023

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी के मामलों में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 21.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी का अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरियों की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.शिवम पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम नोजल थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 84/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 507/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 धर्मबीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना कैराना</u>

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामदः-</u>

आज दिनांक 21.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 08.03.2023 को वादी श्री जयपाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला आलकला टीचर्स कॉलोनी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली की स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल को सिताब सिंह मार्केट से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 154/2023 धारा 379 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.जुबेर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम हरोड़ा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस नम्बर-UP-19M-8932

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 154/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 कंवरपाल थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा छेडछाड करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 21.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा छेडछाड करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 17/18.03.2023 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत युवती से छेडछाड के मामले में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राजकिशोर उर्फ किशोर पुत्र राधे पासवान निवासी मझोरा दरभंगा बिहार।

हाल पता-मौहल्ला गुलशन नगर पानीपत रोड़ थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 149/2023 धारा 452,354क, 506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.हे0का0 वर्णकार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में 01 अभियुक्त को मा ननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2019 में अभियुक्त अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब खुशनुमा कॉलोनी मण्डी भास्करगंज जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 318/19 धारा 4/25 A ACT थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हु आ था। **इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2023 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त को धारा 4/25 A ACT में 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है**। अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1.अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी खुशनुमा कॉलोनी मण्डी भास्करगंज जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 03 अभियुक्तों को मा ननीय न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2018 में अभियुक्त गण 1.अनवर उर्फ जोनी 2.तसलीम उर्फ बबलू पुत्रगण ताहिर उर्फ जरीन निवासीगण मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 302/2018 धारा 457,380,411 भादवि में थाना कांधला जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अनवर, तसलीम, फिरोज उपरोक्त को धारा 457 भादवि में 05-05 वर्ष के कारावास की सजा व 1000-1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 380 भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास की सजा व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास की सजा व 500-500 रुपये के अर्थदण्ड , अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

2.तसलीम उर्फ बबलू पुत्र ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली